

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7809/2018 श्री सतीश चन्द जैन बनाम सरकार व अन्य मे माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2018 के क्रम में अनुपालना आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/कोके/बी-III/या0-7909/सतीश चन्द जैन/18/29/ 10.12.2018 को जारी किया जाकर वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाम वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाम याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होने के आदेश जारी किये गए थे।

क्र0 स0	नाम कर्मचारी	मेरिट न0	पूर्व आदेश मे पदस्थापन स्थान	वर्तमान मे पदस्थापन स्थान	प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति आदेश	प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण
1	SATISH CHAND JAIN	2049-ए	प्रधानाध्यापक,रामावि खारीनाडी, पटोदी, बाडेमर	HEADMASTER, GOVT.SEC.SCHOOL, KHARINADI (08171404104), BARMER	09.01.2017	13.01.2017

उपर्युक्त उल्लिखित याचिका संख्या 7809/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2018 के क्रम में जारी अनुपालना आदेश दिनांक 10.12.2018 का राजस्थान सेवा नियमों के परिपेक्ष्य में इस प्रकार के सभी प्रकरणों में एकरूपता बनाये रखने के मद्देनजर पुनरावलोकन किया गया।

उपर्युक्त याचिका का निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 7283/2014 श्री मनोज कुमार खण्डेलवाल बनाम सरकार के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 16.07.2014 से कवर कर दिया गया है। उक्त कवर्ड निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से यह आदेश दिया गया:-

Having regard to the facts of the case, writ petition is disposed of requiring the petitioners to make a representation to respondent no.2 – Director, Secondary Education, Bikaner, along-with a copy of this order, who shall, after verifying the facts stated above, consider and decide the same by a speaking order within a period of three months from the date of its making, addressing the grievance of the petitioners for extending them the relief as prayed for, as the candidates, who stood lower in merit, are getting benefit of higher pay, seniority, annual grade increments and other service benefits including the selection scales. If the respondent no.2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits.

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक मावि एवं समकक्ष के अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में पदस्थापन आदेश राजस्थान सेवा नियम -8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल के रूप में किया गया था।

माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार याचिकार्थी से कनिष्ठ वरियता धारित कार्मिक के समान ही परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि से ही वेतनवृद्धि, सलेक्शन स्केल एवं अन्य सेवा परिलाम की काल्पनिक गणना करते हुए वर्तमान में कनिष्ठ कार्मिक को प्राप्त वेतन में नियतन किया जाकर वास्तविक लाम प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थी से कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक सुनीता कुमार मीणा (वरीयता क्रमांक-2067) जन्म तिथि-20.01.1975 का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सुनीता कुमारी मीणा द्वारा दिनांक 16.09.2013 को कार्यग्रहण किया गया। सुनीता कुमारी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त दिनांक:17.09.2015 को नियमित वेतन शृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त याचिकार्थी श्री सतीश चंद जैन के द्वारा कनिष्ठ कार्मिक के भाति परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि

(स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक सुनीता कुमारी द्वारा उक्त तिथि तक (याचिकार्थी की स्थाईकरण तिथि) प्राप्त वेतनवृद्धि, सलेक्शन स्केल एवं अन्य सेवा परिलाम की काल्पनिक गणना करते हुए कनिष्ठ कार्मिक द्वारा वर्तमान में प्राप्त किये जाने वाले वेतन के अनुसार वेतन नियतन किया जाकर वास्तविक लाभ याचिकार्थी को प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त पुनरावलोकन अभ्यावेदन निस्तारण पूर्व में जारी अभ्यावेदन निस्तारण आदेश दिनांक 10.12.2018 के अतिक्रमण में जारी किया जाता है। अतः नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करावें कि पूर्व में जारी अभ्यावेदन निस्तारण आदेश दिनांक 10.12.2018 अनुसार यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसे भी आदेशानुसार संशोधित किया जावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमाक: शिविरा/मा/सस्था/बी-111/कोके/या0-7909/सतीश चन्द्र जैन/18/32 दिनांक:- 30-07-2019
प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ. पाटोदी बाडमेर/नियंत्रण अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त आदेशानुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।
9. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-विधि, जोधपुर।
10. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. श्री सतीश चंद जैन, प्र0अ0 रामावि खारीनाडी, पाटोदी बाडमेर को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुसार नियंत्रण अधिकारी से सम्पर्क कर सम्बन्धित कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर